

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 1969/श्रावण 28, 1891

No. 288] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 1969/SRAVANA 28, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August 1969

Vice-Presidential Election, 1969—Counting of Votes

S.O. 3314.—In pursuance of rule 25 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1952, the Election Commission hereby appoints the 30th August, 1969 (Saturday), as the day on which and 5 P.M. of that day as the time at which the counting of votes at the Vice Presidential election, 1969 shall take place in the office of the Returning Officer (Room No. 63, First Floor of the Parliament House) in New Delhi.

[No. 481/1/69.]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अभिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1969

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 1969—मतों की गणना

एस० ओ० 3315.—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1952 के नियम, 25 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा 30 अगस्त 1969 (शनिवार) को ऐसे दिन के रूप में नियत करता है जिस दिन, और उस दिन के 5.00 बजे उपराष्ट्र का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिस पर, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1969 के मतों की गणना नई दिल्ली में रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय (कल संख्या 63, प्रथम खण्ड, संसद भवन) में की जायेगी।

[संख्या 48 1/1/69]

आदेश से,

ए० एन० सन, सचिव।